तत्काल
विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्याः डी.ई.–25 (13)/317/वि.कार्य/2018–19/1489-90 दिनाँक – 21.08.19

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054।

विषयः– विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 13 दिनांक 22.08.2019 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 13, जो कि दिनाँक 22.08.2019 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, का उत्तर सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

भवदीय,

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

(एस.सी. मीणा)
उप शिक्षा निदेशक, (विधायी कार्य शाखा)

संख्याः डी.ई.–25 (13)/317/वि.कार्य/2018–19/1489-90 दिनाँक – 21.08.19
प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054 (150 प्रतियाँ)।

(एस.सी. मीणा)
उप शिक्षा निदेशक, (विधायी कार्य शाखा)

O/C

Scanned by CamScanner

विभाग का नाम :– शिक्षा विभाग

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 13

दिनॉक :– 22.08.2019

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री विजेन्द्र गुप्ता

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19 मे प्राथमिकता–1 के अंतर्गत क्लासरूम बनाए जाने के संदर्भ में शिक्षा विभाग द्वारा लो.नि.वि. को सिविल वर्क के लिए अनुमोदित परियोजनावार ई.ओ.आर. क्या हैं;	ई.ओ.आर. का उपयोग केवल मौजूदा इमारतों में रखरखाव व मरम्मत आदि कार्यों के लिए किया जाता है। एक्स्ट्रा आर्डिनिटी रिपेयर (ई.ओ.आर) के अन्तर्गत कोई नए क्लास रूम या भवन नहीं बनाए जाते हैं। अतः ई.ओ.आर. का प्राथमिकता–1 में बनाए गए नए कमरों/भवनों से कोई सीधा संबंध नहीं है।
ख)	प्राथमिकता–। के अंतर्गत व ई.ओ.आर. के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यो में दोहराव से बचने के लिए शिक्षा विभाग ने क्या कदम उठाए हैं;	स्कूल से जो ई.ओ.आर. व्यय स्वीकृति के लिए आती है उसमें प्रधानाचार्य से नो डुप्लीकेसी सर्टिफिकेट लिया जाता है ताकि कार्यों के दोहराव से बचा जा सके। नो डुप्लीकेसी सर्टिफिकेट में प्रधानाचार्य यह लिखित प्रमाण–पत्र देता है कि वह कार्य प्राथमिकता–1 तथा प्राथमिकता–2 के कार्यों में शामिल नहीं है।
ग)	शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिकता–।। के अंतर्गत कितने कमरे और कितनी लागत का अनुमोदन किया गया था; और	शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिकता–II के अंतर्गत कुल 12748 समकक्ष कमरों (जिसमें आर.डब्ल्यू.एच., एस.टी.पी. व उच्च गुणवत्ता का फर्नीचर इत्यादि भी सम्मिलित है) व इस कार्य में विभिन्न सुविधाओं सहित एम.पी. हॉल का निर्माण, स्टेयर केस, शौचालय का निर्माण, कोरीडोर, प्रयोगशालाएँ,. लाईब्रेरी, प्रधानाचार्य कक्ष, सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, अग्नि सुरक्षा, आर.ओ., बिजली उपकरण, जमीन का समतलीकरण, आंतरिक सडके, हार्टिकल्चर, ऑपरेशन, स्ट्रीट लाईटस्, इत्यादि विभिन्न कार्य अलग–अलग स्कूलों की अलग–अलग परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार शामिल है। यह सिर्फ और सिर्फ कमरे निर्माण के कार्य का प्रोजेक्ट नहीं है। इस निर्माण कार्य हेतु कुल रूपए 2892 करोड की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई है। हालांकि यह भी गौरतलब है कि इस तरह के कार्यों में स्वीकृत अनुमोदित राशि एवं वास्तविक व्यय में सामान्य रूप से अंतर रहता है।
घ)	प्राथमिकता–।। के अंतर्गत प्रति वर्ग मीटर क्या लागत है और प्रति कमरा क्या लागत है?	प्राथमिकता – II के अंतर्गत समस्त निर्माण कार्यों का प्रारंभिक प्राकलन लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया था, जो कि भारत सरकार के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मैन्युल में निर्धारित दरों पर अधारित है। इस कार्य के लिए अनुमोदित प्रति वर्ग मीटर रूपए 28 हजार 212 की लागत का आंकलन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा कार्य के विस्तृत विवरण को देखते हुए स्वीकृत राशि के आधार पर प्रति कमरा लागत निकालना गलत होगा।

Dte. of Education
G.N.C.T. of Delhi

Scanned by CamScanner